The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2011

Act 5 of 2011

Keyword(s):
Agricultural Produce, Agricultural Produce Market, Agricultural Market, Agriculture, Partly Repealed

Amendments appended: 6 of 2011, 16 of 2014, 10 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 6, रविवार, शाके 1933–मार्च 27, 2011
Chaitra 6, Sunday, Saka 1933–March 27, 2011

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2(7) Vidhi/2/2011.–The Following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 5 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th December, 2010.

2. Amendment of section 14, Rajasthan Act No. 38 of 1961.– In clause (a) of sub-section (2) of section 14 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), the existing proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that no sale or purchase shall be permitted under this clause within the market proper except for the purposes specified in sub-clauses (i) and (iv) ;" .

3. Repeal and savings.– (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 05 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (7) विधि/2/2011.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2011 (एक्ट नं. 5 ऑफ 2011)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 5)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई**]**

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 30 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 **के राजस्थान अधिनियम सं.** 38 **की धारा** 14 **का संशोधन.-**राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) की धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु कोई भी विक्रय या क्रय इस खण्ड के अधीन, उप-खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, मुख्य मण्डी के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जायेगा;"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 05) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

3

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 6, रविवार, शाके 1933–मार्च 27, 2011 *Chaitra 6, Sunday, Saka 1933–March 27, 2011*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2(8) Vidhi/2/2011.–The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011 is hereby published for general information:–

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011
(Act No. 6 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th December, 2010.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 38 of 1961.– The existing sub-section (5) of section 7 of the Rajasthan

Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter referred to as the principal Act, shall be deleted.

3. Amendment of section 27-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.– In sub-section (1) of section 27-A of the principal Act, for the existing expression "total number of members", appearing after the expression "exceeds one-third of the" and before the expression "of the elected market committee", the expression "total number of elected members" shall be substituted.

4. Repeal and savings.– (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 06 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (8)/विधि/2/2011.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (सैकण्ड अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2011 (एक्ट नं. 6 ऑफ 2011)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 6)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई**]**

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 30 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 7 का संशोधन.-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की विद्यमान उप-धारा (5) हटायी जायेगी।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 27-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 27-क की उप-धारा (1) में अभिव्यक्ति "निर्वाचित मण्डी समिति के" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के एक-तिहाई" के पूर्व आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "सदस्यों की कुल संख्या" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 06) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 21, शुक्रवार, शाके 1936–सितम्बर 12, 2014 *Bhadra 21, Friday, Saka 1936-September 12, 2014*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 12, 2014

No. F. 2 (58) Vidhi/2/2013.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 10th day of September, 2014 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2013
(Act No. 16 of 2014)

[Received the assent of the Governor on the 10th day of September, 2014]

An
Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 40-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 40 and before the existing section 41 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), the following new section shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:-

"**40-A. Power to grant exemption from market fee.-** If the State Government is satisfied that it is expedient

in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt, whether prospectively or retrospectively, any licensee or class of licensees specified in the notification from payment of market fee payable on any agricultural produce bought or sold by him in the market area, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.".

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 12, 2014

संख्या प. 2 (58) विधि/2/2013.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2013 (एक्ट नं. 16 ऑफ 2014)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2014 का अधिनियम संख्यांक 16)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं.38 में धारा 40-क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं.38) की विद्यमान धारा 40 के पश्चात् और विद्यमान धारा 41 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी और सदैव अन्त:स्थापित की हुई समझी जायेगी, अर्थात्:-

"**40-क. मण्डी फीस से छूट प्रदान करने की शक्ति.-** यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चाहे भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के वर्ग को, मण्डी क्षेत्र में उसके द्वारा क्रय की गयी या विक्रय की गयी किसी भी कृषि उपज पर संदेय मण्डी फीस के संदाय से, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी शर्त सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, छूट प्रदान कर सकेगी।"।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

3

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 14, सोमवार, शाके 1937–मई 4, 2015

Vaisakha 14, Monday, Saka 1937-May 4, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 4, 2015

No. F. 2 (41) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 20th day of April, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 10 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 20th day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) in the section so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that no Mandi Fee shall be leviable on fruits and vegetables. Instead, the market committee may collect user charges in respect of these articles, for the services provided by the market committee, from the buyer of the produce at such rate as may be specified in the bye-laws.".

3. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In sub-section (1) of section 37 of the principal Act, after the existing expression "conditions of trading therein" and before the existing punctuation mark ".", the expression "and for specifying the rates of user charges leviable under the proviso to section 17" shall be inserted.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 4, 2015

संख्या प. 2 (41) विधि/2/2014.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 10 ऑफ 2015)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 10)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में,-

(i) अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित धारा में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु फलों और सब्जियों पर कोई मण्डी फीस उद्गृहीत नहीं की जायेगी। इसके बजाय, मण्डी समिति, इन वस्तुओं के संबंध में, मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से ऐसी दर पर जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगी।"।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "व्यापार करने की शर्तों के लिए" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-विधियां बना सकेगी।" के पूर्व अभिव्यक्ति "और धारा 17 के परन्तुक के अधीन उद्ग्रहणीय उपयोक्ता प्रभारों की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए" अन्त:स्थापित की जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

3
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।